मदारी का 'जमूरा' बनाने के लिए बच्चों का अपहरण करने वाली गैंग गिरफ्तार

जी.आर.पी. पुलिस ने खानाबदोश परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया

-कार्यालय संवाददाता-

- इस गैंग ने 10 दिन पहले कोटा रेलवे स्टेशन से 4 वर्षीय बच्चे का अपहरण किया था, जबकि दूसरे बच्चे को 10 साल पहले गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से उठाया था
- पुलिस ने आशंका जताई है कि यह बदमाश, बच्चों को दवाईयां देकर उसकी दिमागी हालत कमजोर करते हैं, फिर तमाशे के लिए उसका जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं

जयपुर । राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और जयपुर पुलिस की टीम ने मंगलवार को एक ऐसे खानाबदोश परिवार को धरदबोचा, जो बच्चों का अपहरण करता था। इस परिवार से पुलिस ने दो बच्चों को दस्तयाब किया है। इनमें एक बच्चा 10 दिन पहले कोटा रेलवे स्टेशन से अपहरण किया गया था। जबकि दूसरे बच्चे का 10 वर्ष पहले गंगापुरसिटी रेलवे स्टेशन से अपहरण हुआ था।

एडीजी अनिल पालीवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी परिवार ने बताया कि पहले उनका मूल काम मदारी का था और जानवरों पर प्रतिबंध लगने के बाद वह बच्चों को जमूरा (करतब दिखाने) बनाकर खेल दिखाते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन से बच्चे का अपहरण जमूरा बनाने के लिए किया था। मूलतः हरियाणा के भिवानी हाल किशनबाग झुग्गी झौपड़ी निवासी प्रेम सिंगीवाल (65) उसकी पत्नी लज्जो (55), बेटा अर्जुन (30), कर्ण (22) व मुख्य सरगना मुकेश मदारी (19) को गिरफ्तार किया।

एडीजी अनिल पालीवाल बताया कि बच्चे का अपहरण करने वाला मास्टर माइंड मुकेश मदारी है। वह परिवार के साथ किशनगढ़ (अजमेर) में एक शादी समारोह में परिवार के साथ बर्तन साफ करने के लिए गया था। वहां से 5 मई की सुबह 11 बजे अपना मोबाइल मां लज्जो को देकर चमडा घर से एक बाइक चोरी कर भाई करण के साथ शाम तक कोटा पहुंच गया। कोटा रेलवे स्टेशन पर बच्चे के पिता उसे अकेले बैठाकर टिकट लेने चले गए, तभी आरोपी बच्चे को उठाकर ले गए।

जीआरपी कोटा के वृत्ताधिकारी चांदमल के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। बच्चे की तलाश में 280 किलोमीटर क्षेत्र में 470 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तब जाकर अपहरणकर्ताओं का सुराग लगा और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुकेश बच्चे को पहले भोपाल में अपने ससुराल ले गया, लेकिन ससुराल वालों ने अपहृत बच्चे को रखने से मना कर दिया, तब वह भोपाल से ट्रेन में जयपुर पहुंचा था।

एस.पी. जोशी ने बताया कि आरोपियों से 10 वर्ष पहले अपहृत बच्चे का उसके परिजन से डीएनए करवाया जाएगा। इसके बाद बच्चा उनके सुपुर्द किया जाएगा। वह बच्चा मंदबुद्धि है। आशंका है कि अपहरण करने के बाद बच्चे की दिमागी हालत कमजोर करने के लिए उसे दवाइयां दी गई है। यह भी आशंका है कि गैंग बच्चों से चोरी करवाने का काम करती है। पुलिस उनसे और पूछताछ कर रही है।

नई शिक्षा नीति को सभी विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा : मिश्र

राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास समावेशी कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय उद्योगों एवं विश्वविद्यालय सहभागिता से रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से लागू किया जाए।

मिश्र मंगलवार को राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, मुख्य सचिव सुधांश पंत, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्यपाल ने बैठक में कहा कि विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक/मोबाइल एप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था 30 मई तक सभी विश्वविद्यालयों में तत्परता से लागू की जाएगी। चरणबद्ध रूप से यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवगठित विश्वविद्यालयों में संपत्तियों, दायित्वों, भूमि, पेंशन तथा अन्य मुद्दों के लिए कमेटी का गठन कर कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित जिला कलेक्टर भी सम्मिलित होंगे ताकि नए विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अब प्रत्येक विश्वविद्यालय पांच-पांच ग्राम गोद लेकर उनके विकास के लिए कार्य करेंगे।

राज्यपाल ने कुलपतियों से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में उच्च शिक्षा में नवाचार अपनाते हुए विद्यार्थियों में मौलिक शोध और अनुसंधान की दृष्टि विकसित करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी यह प्रयास करें कि विश्वविद्यालयों में बहु विषयक और अंतर विषयक अनुसंधान और पठन-पाठन की दिशा में कार्य हो। हर विश्वविद्यालय में इनोवेशन सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, नवीन स्टार्टअप के लिए भी निरंतर कार्य हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक घरानों से विचार विमर्श कर कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालय विशेष रूप से कार्य करें। बैठक में जिन विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा उपकरण नहीं लगे हैं, वहां 30 जून तक कार्यवाही किए जाने के भी राज्यपाल ने निर्देश दिए।

दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को 17.50 करोड़ का इंजेक्शन लगाया

अमेरिका से जयपुर के जे.के. लोन हॉस्पिटल लाया गया इंजेक्शन

- जन्म के 6 महीने बाद से ही हृदयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) बीमारी से पीड़ित था
- इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे को 24 घंटे के लिये डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया, वहीं दो महीने तक उसकी दूसरी दवाईयां चलेगी।
- पुलिस महानिदेशक यू आर साहू और भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने इंजेक्शन के लिए राशि जुटाने में पूरे पुलिस परिवार से सहयोग की अपील की थी।

जयपुर। राजधानी के जेके लोन हॉस्पिटल में मंगलवार को 23 महीने के हृदयांश को अमेरिका से मंगवाया गया साढ़े सत्रह करोड़ रुपए का जोल गेनेस्मा इंजेक्शन लगाया गया। अस्पताल में रेयर डिजीज यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनकी टीम ने यह इंजेक्शन लगाया।

हृदयांश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी। परिवार क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाने में लगा था। डॉ प्रियांशु माथुर ने बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा 24 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहेगा। इसके बाद दो महीने तक बच्चे के दवाईयां चलेगी। फिर वह आम लोगों की तरह जीवन यापन कर सकेगा। इंजेक्शन दोपहर दो बजे तक लगाया जाना था। लेकिन पेपर वर्क कंप्लीट होने में समय लगा। जिसकी वजह से शाम करीब छह बजे यह इंजेक्शन बच्चे को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इंजेक्शन के जरिए बच्चे को साठ मिनट में दवा दी गई। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में यह दवा अब तक 35 सौ बच्चों को दी जा चुकी है और इसके बाद वे स्वस्थ्य हो गए। इस बीमारी से 99.5 प्रतिशत बच्चे बच चुके है। प्रारम्भिक तौर पर इस दवा का असर सात से दस दिन में होना शुरू हो जाता है।

दरअसल, हृदयांश का परिवार अलवर के मसारी का रहने वाला है। हृदयांश के पिता नरेश शर्मा मनिया (धौलपुर) पुलिस थाने में एसचओ हैं। हृदयांश के माता-पिता नरेश शर्मा और शमा की शादी 7 साल पहले हुई थी। बेटी शुभी (6) के बाद हृदयांश के जन्म से पूरे परिवार में खुशी थी। सिजेरियन डिलीवरी से हृदयांश का जन्म हुआ था। जन्म के समय हृदयांश को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। 6 महीने तक वह अपनी बॉडी का अच्छा मूवमेंट करता था। 6 महीने बाद जब परिवार के लोगों ने किसी सहारे से खड़ा करने की कोशिश की तो वह खड़ा नहीं हो पाया था। इसके बाद बीमारी का पता चला था। उसके माता पिता जयपुर में रहकर इलाज करवा रहे थे।

सहयोग के लिये आभार जताया

इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि इस बीमारी के कारण मसल्स में कमजोरी आने लगती है। बच्चे को चलने-फिरने में परेशानी होती है। सांस रुकने की भी संभावना रहती है। पहले भी दो बच्चों को थैरेपी दे चुके हैं। अब बच्चे को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे।

बच्चे के नाना नरेश कुंबज ने इस मुहिम में सभी का सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने भी बेटा समझकर हृदयांश की मदद की। उन्होंने कहा कि अब बच्चे के स्वस्थ होने की दुआ करें।

हृदयांश के चाचा स्वप्निल ने बताया कि इंजेक्शन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने भी हृदयांश के इलाज में काफी मदद की है। उन्होंने इंजेक्शन की 17.5 करोड़ रुपए की राशि को चार किश्तों में जमा कराने की छूट दी है। अब तक क्राउड फंडिंग से जमा हुए 9 करोड़ रुपए से इंजेक्शन की पहली किश्त जमा करा दी है। बाकी राशि को तीन किश्तों में एक साल में जमा कराया जाएगा। पुलिस महानिदेशक यू आर साहू ने इंजेक्शन के लिए राशि जुटाने में पूरे पुलिस परिवार से सहयोग की अपील की थी। वहीं भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने भी राशि जुटाने के लिए पूरे प्रयास किए।

सांसद-विधायक भी आगे आए

भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्र लिखा था। वहीं, राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इंजेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए कहा था। बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने अपने विधायक कोष से हृदयांश के परिजनों को 21 लाख रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था।

क्रिकेटर सरफराज व चाहर जुड़े थे मुहिम से

इस बीमारी की वजह से हृदयांश घुटनों के बल चल भी नहीं पा रहा था। परिवार को पता चला कि 17.50 करोड़ के इंजेक्शन से बेटे का इलाज हो सकता है, लेकिन इतने पैसे नहीं थे। इंजेक्शन खरीदने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर और सरफराज खान ने भी हृदयांश की जान बचाने के लिए अपील की थी। दीपक ने वीडियो जारी कर कहा था कि राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर नरेश शर्मा के बेटे हृदयांश को गंभीर बीमारी है। यह बीमारी दुर्लभ है। इसके इलाज का खर्च भी काफी महंगा है। मुझसे जितनी मदद हो सकेगी, मैं करूंगा।

सरफराज ने कहा था कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत इंस्पेक्टर के बेटे की तबीयत काफी खराब है। उसके इलाज के लिए करोड़ों की कीमत के इंजेक्शन की जरूरत है। सरफराज ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा डोनेशन देने की अपील की थी।

'वर्दी में वीडियो अपलोड करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई'

जयपुर। प्रदेश में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर वर्दी में गैर पुलिसिंग मुद्दों पर वीडियो, रील या स्टोरी आदि अपलोड करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में राजस्थान पुलिस के मुखिया यू आर साहू द्वारा मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक साहू ने बताया कि पुलिसकर्मियों द्वारा वर्दी में स्वयं के वीडियो, रील और स्टोरी जिनका पुलिस कार्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट या अपलोड करना पुलिस नियमों के खिलाफ है।

फर्जी एन.ओ.सी. से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए एस.आई.टी.गठित

सरकार के आदेश पर बनाई 8 सदस्यों की टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नर करेंगे मॉनिटरिंग

जयपुर। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए थे। इस पर जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने एसआईटी का गठन कर दिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी में 8 पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल को शामिल किया गया है। एसआईटी की जांच की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ करेंगे।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हर दिन नई जानकारी टीम के पास आ रही है। इस पर पुलिस टीम के द्वारा काम किया जा रहा है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें जिम्मेदार पुलिस अधिकारी रहेंगे, जो पहले दिन से इस केस पर काम भी कर रहे हैं।

एसआईटी में एसीपी गांधी नगर गोपाल सिंह ढाका और एसीपी पुलिस लाइन हेमराज मूंड, 2 पुलिस निरीक्षक हवा सिंह मंगावा और भवानी सिंह, 2 एएसआई मूल सिंह और धर्मेंद्र कुमार के साथ-साथ 2 कांस्टेबल चैन सिंह और सुभाष चंद्र रहेंगे। इस केस की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ करेंगे।

उधर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में गिरफ्तार फोर्टिस हॉस्पिटल के दो डॉक्टर जितेन्द्र गोस्वामी और संदीप गुप्ता को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को 15 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी से हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि जितेंद्र गोस्वामी एसएमएस अस्पताल के एएओ गौरव सिंह से डायरेक्ट संपर्क में था। जब तक वह मणिपाल हॉस्पिटल में रहा, उसने वहां पर कई ट्रांसप्लांट किए थे। आरोपी ने जब फोर्टिस अस्पताल जॉइन किया तो भी गौरव के संपर्क में रहा और हॉस्पिटल के कई स्टाफ को अपने साथ मिला चुका था। जानकार सूत्रों की माने तो पुलिस जल्द ही फोर्टिस, ईएचसीसी और मणिपाल हॉस्पिटल प्रशासन को पूछताछ के लिए बुला सकता है।

स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों फर होगी कार्रवाई

जयपुर। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुये ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये हैं। सिंह के निर्देशों के बाद निदेशक राकेश कुमार शर्मा ने समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रकों, समस्त अधीक्षकों, संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रमुख चिकित्साधिकारियों सहित सभी नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे कार्मिकों की सूचना मांगी है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने में संबंधित विभाग फेसिलिलेटर की भूमिका निभाएं : पंत

- माइंस विभाग द्वारा राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन की दो अधिकारियों को जिम्मेदारी

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त खानधारकों को राज्य स्तरीय समिति सीया से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने में संबंधित विभागों को फेसिलिलेटर की भूमिका निभानी होगी। उन्होंने माइंस, पर्यावरण, राज्य स्तरीय एंवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी, डिया से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खान व क्वारी लाइसेंस धारकों से परस्पर सहयोग व समन्वय से तय समय सीमा में पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है।

मुख्य सचिव सुधांश पंत मंगलवार को सचिवालय में माइंस, पर्यावरण, सीया और सेक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त करीब 24 हजार 5 हैक्टेयर तक की लीज व क्वारी लाइसेंस वाली खानों के आवश्यक दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ कर दिए गए है। सीया द्वारा करीब 12 हजार आवेदनों की स्क्रूटनिंग का काम भी कर लिया गया है। अब शेष रहे आवेदनों की स्क्रूटनिंग के काम में तेजी लाने के साथ ही स्क्रूटनिंग हो चुके आवेदनों के खान धारकों द्वारा फार्म दो का परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। स्क्रूटनिंग वाली खानों के खानधारक स्वयं या माइंस विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए अविलंब फार्म 2 अपलोड़ करें ताकि राज्य स्तरीय अथॉरिटी द्वारा पर्यावरण स्वीकृतियां जारी हो सके। उन्होंने छोटी मोटी कमियों को पूरा कराने के लिए अनावश्यक पत्राचार के स्थान पर औपचारिकताओं को सीधे संबंधित से पूरी कराने की आवश्यकता प्रतिपादित की।

मुख्य सचिव पंत ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा डिस्ट्रक्ट लेवल एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति वाले खानधारकों को राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से एक साल में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे। एनजीटी के आदेशों के अनुसार जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त इन खान धारकों को राज्य स्तरीय समिति से पर्यावरण स्वीकृति लिया जाना जरुरी है। उन्होंने माइंस विभाग द्वारा करीब 24 हजार खानों के दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर पूरी करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि माइंस प्रदेश की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि से जुड़ा विभाग है और इससें लाखों लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में माइनिंग गतिविधियां निर्बाध जारी रखने के लिए समय पर औपचारिकताएं पूरी कराकर राज्य स्तरीय पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना जरुरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन व पर्यावरण अपर्णा अरोड़ा ने बताया कि माइंस व पर्यावरण विभाग द्वारा परस्पर सहयोग से प्राथमिकता से स्क्रूटनिंग कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीया द्वारा 12 हजार आवेदनों को वेलिडेटेड कर लिया गया है और संबंधित खान धारकों को परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 अपलोड करने को कहा गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विभाग द्वारा सहयोगी की भूमिका निभाते हुए वेलिडेशन का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 30/56/12 मानसरोवर जयपुर का मूल आवंटन पत्र गिर गया है। मिलने पर सूचित करें। संतोष शर्मा धर्मपत्नी राजेन्द्र शर्मा 30/56/12 स्वर्ण पथ, मानसरोवर। मोबाइल-9413074463

नाम परिवर्तन

विवाहोपरांत मैंने अपना नाम मंजरी शर्मा से बदलकर मोना सोरल धर्मपत्नी श्री नरेन्द्र नाथ सोरल कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाए, पता-ई-1101, अनुकम्पा प्लेटिना, मुहाना मंडी रोड, मानसरोवर, जयपुर-302020

मैंने अपनी पुत्री का नाम नियती चौधरी से बदलकर नईशा चौधरी किया है भविष्य में इसी नाम से जाना पहाना जावे पता- नितीन चौधरी 38, आकाशदीप एन्कलेव, रूडकी, जिला हरिद्वार

मैं जगजीत गोदारा (Jagjit Godara) पत्नी श्री गजराज सिंह, निवासी शिवाजी गोदारा कॉलोनी, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर, अपना नाम जगजीत (Jagjit) से बदलकर जगजीत गोदारा (Jagjit Godara) रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मैं शशि बाला शर्मा पत्नी श्री श्रीप्रकाश शर्मा निवासी 23 नरेडा कॉलोनी, खातीपुरा रोड जयपुर विवाह पश्चात अपना नाम शशि बाला से बदलकर शशि बाला शर्मा रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

I No. 2896853A Hav. Sumer Singh S/o Tagat Singh R/o Jat Sarni Ki Dhani, Gingala, Jodhpur Raj. Pin 342312. In service record my mother's name Bikh Kanwar wrong recorded. Correct My mother name is Bhika Kanwar. Vide Affidavit Dated 23.04.2024 Jaipur.

I Indu Kala Pandey W/o No. 15681863H Hav. (OCC) Satish Kumar Pandey have changed my Name from Indu Kala to Indu Kala Pandey in army service records for all future purposes.

I army no 14818894F Ex Sepoi Vivek Kumar S/O mool Chand R/O village post bugala teh navalgarh district jhunjhunu Raj have changed my daughter's name from RUCHIKA KUMARI as To RUCHIKA & HARSHITA KUMARI As To HARSITA KUMARI vide affidavit dated 23 apr 2024 before district notary sikar raj

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरा अभिभाष्य राजू नाटाणी पुत्र श्री घासीलाल, निवासी ए-11, अग्रवालो का मौहल्ला, झोटवाडा जयपुर मे स्थित कृषि भूमि वाके ग्राम शिवदासपुरा तहसील-चाकसू मे खसरा नम्बर 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 कुल खसरा नम्बर 6 कुल रकबा 1.38 है. को सीताराम मीणा निवासी-शिवदासपुरा जिला-जयपुर से जरिये इकरारनामा 14.05.2010 एवं 17.10.2014 को खरीद कर सीता विहार कॉलोनी सृजित कर दी गई है जरिये खण्डेलवाल प्राईम स्टेट प्रा.लि. के द्वारा आवंटन व कब्जा पत्र दे दिया गया है। यदि इस संबंध मे कोई भी दीगर व्यक्ति लेन-देन करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि उक्त भूमि के संबंध मे किसी भी दीगर व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है जो 7 दिवस के अन्दर अन्दर सूचित करें।
जयपुर
दिनांक-14.05.2024
नईमुद्दीन (एडवोकेट)
मो.नं.9352442148

उत्तर पश्चिम रेलवे

आवेदन सूचना

वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से जयपुर मण्डल के निम्नलिखित पाँच एनएसजी-6 श्रेणी के स्टेशनों पर (प्रत्येक स्टेशन पर एक) कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) से कमीशन आधार पर अनारक्षित रेल टिकट जारी करने हेतु तीन (03) वर्ष की अवधि के लिये स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट (एसटीबीए) अधिकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। **1. कार्य का नाम एवं लोकेशन:** जयपुर मंडल के निम्न वर्णित "एनएसजी-6" श्रेणी स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेन्ट का अनुबन्ध:- अजरका, रेनवाल, पडीसल, नुआ, लक्ष्मणगढ़ सीकर, माउण्डा, जीलो, भैसलाना, ढिगावडा काठुवास, धानक्या। **2. निविदा प्रपत्र का मूल्य:** रुपये 1000/-(एक हजार) का डीडी/बैंकर्स चेक मात्र। **3. कार्यालय का पता जहाँ से फार्म प्राप्त किया जा सकता हैं।:** कार्यालय वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, वाणिज्य शाखा, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर **4. जमा की जाने वाली बयाना राशि:** बयाना राशि के पक्ष में रुपये 2000/- (दो हजार) का डीडी/बैंकर्स चेक। **5. कार्यलय:** तीन (03) वर्ष की अवधि के लिये। **6. निविदा फार्म बेचने की अन्तिम तिथि:** दिनांक 12.06.2024 को 18.00 बजे तक **7. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय:** दिनांक 13.06.2024 को 12.00 बजे तक **8. निविदा खोलने की तिथि व समय:** दिनांक 13.06.2024 को 12.00 बजे बाद 9. **वेबसाइट का विवरण एवं सूचना पट्ट की स्थिति जहाँ निविदा की सम्पूर्ण जानकारी देखी जा सकती है।:** Website http//www.nwr.indianrailways.gov.in सूचना पट्ट:- कार्यालय वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक वाणिज्य शाखा मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर **संख्या-सी-436/एसटीबीए/03/जेपी/2024-1 दिनांक 10.05.2024**
551-AJ/24
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

आवश्यकता

आवश्यकता है पार्ट टाइम कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जो हिन्दी में पेजमेकर, क्वार्क और वर्ड में काम कर सकें।
समयः सांय 8.00 से 12.00
सम्पर्क करें: प्रोडक्शन मैनेजर
मोबाईल नं.: 9928903393, 9057617166
राष्ट्रदूत
चमेली वाला मार्केट, जयपुर

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

सेक्टर- 9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2024/05 दिनांक : 13.05.2024

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अनुसार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की सेवा में सेवारत रहते हुए मृतक हुए उनके आश्रित को नियुक्ति देने की कार्यवाही की जानी है। विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं. स.	मृतक का नाम	पद	मृत्यु दिनांक	मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति चाहने वाले का नाम	मृतक से सम्बन्ध आश्रित	पता
1	तेजपाल बेनीवाल पुत्र श्री रघुनाथ बेनीवाल	सफाई कर्मचारी	15.07.2023	श्रीमती आरती	पत्नि	मकान नं0 5011 मोती सिंह भौमियों का रास्ता, संजय बाजार, घाटगेट, पाचवा चौराहा, जयपुर

इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी जन सामान्य को मृतक के स्थान पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर-अन्दर कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी-अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
उपायुक्त
मानसरोवर जोन
राज.संवाद/सी/24/113